पत्रांक–05 / आ0रो0–04 / 2025.................. /

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

तृतीय तल योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची–834002

संकल्प

विषयः– राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों तथा इसके अन्तर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु आरक्षण रोस्टर नियमावली के संबंध में।

राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों तथा इसके अंतर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों में पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए आरक्षण रोस्टर का अनुपालन राज्य सरकार के आरक्षण संबंधी अद्यतन नियम / परिनियम के अनुरुप होता है।

2. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक पदों की प्रकृति राज्य के अन्य विभागों के पदों की प्रकृति से भिन्न है इस कारण इन पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर निर्धारण एवं संधारण के निमित्त राज्य के आरक्षण संबंधी नियम / परिनियम के अनुपालन के संबंध में यथोचित मार्गदर्शन हेतु नियमावली के गठन की आवश्यकता महसूस की गई।

3. ज्ञातव्य है कि विधि (विधान) विभाग की अधिसूचना संख्या एल.जी.–29 / 2018–34 दिनांक–22.09.2022 द्वारा झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 (झारखण्ड अधिनियम संख्या–11, 2022) को अधिसूचित किया गया है जिसके द्वारा झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (अंगीकृत एवं संशोधित), 2000 में संशोधन करते हुए धारा–57 की उपधारा–5 को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया गया हैः–

"Notwithstanding anything to the contrary contained in the Act, Statutes, Rules or Regulations, the policy of reservation in the State of Jharkhand for the Universities of Jharkhand shall apply to all appointments for teacher of University considering University as one unit."

4. उक्त के आलोक में विश्वविद्यालय को इकाई मानते हुए झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक संवर्ग के पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर निर्धारण के आलोक में देश के अन्य राज्यों / विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय को इकाई मानते हुए आरक्षण रोस्टर निर्धारण हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का अध्ययन किया गया। इस संदर्भ में प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश को प्रेषित विभागीय पत्रांक–1363 दिनांक–01.10.2021 के प्रतिउत्तर में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के पत्रांक–एफ 73–14 / 2017 / 38–3 दिनांक–23.01.2020 के द्वारा उक्त राज्य में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का अवलोकन किया गया।

4.1. विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हुए आरक्षण रोस्टर के निर्धारण के संदर्भ में दिनांक–11.04.2023 को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें विभागीय पदाधिकारियों के साथ झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के सचिव तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलसचिव शामिल हुए। बैठक में विश्वविद्यालय को इकाई

मानकर आरक्षण रोस्टर के निर्धारण की प्रक्रिया पर गहन विमर्श किया गया तथा इस संदर्भ में प्रशासी विभाग द्वारा नियमावली के गठन किए जाने का निर्णय लिया गया।

5. राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों एवं इसके अन्तर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षेकत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति संबंधी संशोधित परिनियम "Statute for Appointment, Promotion & Cadre Structure of Non- TeachingStaffs (7th CPC Pay Matrix Level 02 to Level 08) in the University Headquarter & their Allied Offices including Constituent/ Constituent Autonomous Colleges, 2024" गठित एवं निदेशालीय पत्रांक 1307 दिनांक –31/07/2024 द्वारा संसूचित है। संशोधित परिनियम में निहित गैर–शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार का आरक्षण नीति लागू करने का प्रावधान है। पूर्ववर्ती परिनियम Statutes for Appointment, Qualification and Promotion of Non-Teaching Staff of the University Headquarter and Allied Offices, Constituent Colleges including Constituent Autonomous Colleges (as notified vide letter 2148 dated 06.11.2015 and amended by letter 22 dated 20/06/2017) शिक्षकेत्तर कर्मियों के आरक्षण के संबंध में यह प्रावधानित था कि "The reservation roster for appointment of Non-teaching cadre shall be of Divisional Level."

6. प्रमंडलीय स्तर पर गैर–शैक्षणिक पदों के लिये आरक्षण रोस्टर के निर्धारण हेतु जिला–स्तरीय 100 बिंदु के रोस्टर का अनुपालन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों की अधिकारिता एक से अधिक जिलों में है तथा अलग–अलग जिलों के लिये अलग–अलग 100 बिंदु का रोस्टर निर्धारित है। अतः ऐसी परिस्थिति में पूरे विश्वविद्यालय के लिए किसी एक जिले के रोस्टर बिंदुओं का अनुपालन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तदालोक में शैक्षणिक पदों के अनुरूप गैर–शैक्षणिक पदों के लिए भी आरक्षण रोस्टर के निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय को इकाई मानकर राज्य में प्रभावी आरक्षण रोस्टर बिंदु का अनुपालन करने का निर्णय लिया गया।

7. उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में सम्यक विचारोपरांत राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों एवं इसके अन्तर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु आरक्षण रोस्टर के निर्धारण की प्रक्रिया निम्नवत् होगीः–

शैक्षणिक पदः–

(i) विश्वविद्यालय को इकाई मानते हुए सहायक प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के पदों को विषयवार अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखते हुए रोस्टर बिन्दु निर्धारित किया जायेगा।

(ii) सहायक प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के आक्षरण रोस्टर बिन्दु का निर्धारण सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु राज्य में प्रभावी आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुरूप किया जायेगा।

(iii) पूर्व से पदस्थ शिक्षकों को उनके वरिष्ठता क्रम में संबंधित वर्ग के सामने अंकित किया जायेगा। तत्पश्चात रिक्त पदों की विषयवार/वर्गवार गणना की जायेगी।

(iv) भविष्य में स्वीकृत होने वाले नवीन पदों को वर्तमान रोस्टर के निर्धारित बिन्दु के पश्चात उनके स्वीकृति की तिथि के आधार पर क्रमवार रखते हुए उनके रोस्टर बिन्दु निर्धारित की जायेगी।

(v) किसी दो या इससे अधिक विषयों के पदों की स्वीकृति की तिथि समान हो तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर रोस्टर निर्धारण किया जायेगा।

पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मीः—

(i) विश्वविद्यालय को इकाई मानते हुए विश्वविद्यालय एवं इसके अन्तर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों पर सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु राज्य में प्रभावी आरक्षण रोस्टर बिन्दु का अनुपालन किया जायेगा।

8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक—12.03.2026 में मद संख्या—16 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक—05/आ0रो0—04/2025 699 / राँची/दिनांक 23/03/2026

प्रतिलिपिः—नोडल पदाधिकारी, ई—गजट, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

19.3.26
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।